9-9-19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत लेखक्रमांक 1659(73) दिनांक 24-8-73 प्रदर्श 5 पढ़ने में नहीं आ रहा है। अस्पष्ट है। वकील वादी को हिदायत दी जाती है कि तहसील नकल लेकर पेश करें। दिनांक 30-9-19 से पूर्व नकल पेश करें। दि 30-9-19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

30-9-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अवकाश [illegible]
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि. उप. आइंदा दिनांक 7-10-19
को पेश हो। नकल सनद पेश करना है।

(हस्ताक्षर)

7-10-19 पत्रावली पेश हुई। दावा डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से घोषित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकॉर्ड हो। सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़-बास [अलवर]

अध्यासीन द्वारा :-

श्री सुरेन्द्र प्रसाद [आर.ए.एस.]

दावा संख्या	पेश तिथि	निर्णय तिथि
213 / 145	11-10-06 / 15-3-13	7-10-19

उनवान

1- मूलचन्द पुत्र रामसिंह कौम अहीर ----- मृतक
1/1-सुरजी पत्नि मूलचन्द
1/2-महेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द
1/3-विजयसिंह पुत्र मूलचन्द
1/4-शीला पुत्री मूलचन्द
2- श्रीराम पुत्र रामसिंह
3- जगमाल पुत्र रामसिंह
4- रतनलाल पुत्र रामसिंह
5- करेम पुत्र रामसिंह
6- अतरसिंह पुत्र रामसिंह जाति अहीरान साकिन कौशलपुर
तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- वादीगण

बनाम

1- सैतसिंह पुत्र तुहारासिंह ----- मृतक
1/1-शीलावन्ती पत्नि सैतसिंह
1/2-फिरेन्द्र पुत्र सैतसिंह
1/3-राहुल पुत्र सैतसिंह
1/4-मैना पुत्री सैतसिंह कौम सिकलीगर सिख सा.अलमदीका
2- जन्मसिंह पुत्र तुहारासिंह
3- गिन्दोबाई पुत्री तुहारासिंह
4- नियामतबाई पुत्री तुहारासिंह जाति सिकलीगर सिख निवासी अलमदी
5- ईश्वर पुत्र प्रेमराज जाति अहीर सा.अलमदीका
6- विक्रम पुत्र नामालूम अहीर सा.अलमदीका ----- मृतक
6/1-सविता पत्नि विक्रम
6/2-महेश पुत्र विक्रम
6/3-महेन्द्र पुत्र विक्रम
6/4-मनोज पुत्र विक्रम कौम अहीर साकिन अलमदीका

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

--2-

Scanned by CamScanner

7- राज. सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अलवर

8- तहसीलदार किशनगढ़-बास। पटवारी। किशनगढ़-बास

:-प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट.

उपस्थितिः- 1- श्री अरुणकुमार शर्मा वकील वादीगण की ओर से ।

2-प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही ।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई दावे के सूक्ष्म वृत्तान्त निम्न प्रकार से हैं:-
वादीगण ने दावा पेश किया कि साबिक ख.नं. 81मि./0-15 रामसिंह मृतक पिता वादीगण ने जतनकोर उर्फ तुर्वी बाई बेवा बलवन्तसिंह सिकलीगर सा. अलमदीका से दिनांक 12-9-73 को खरीद की थी जिसका अमल जमाबन्दीयात भू-प्रबन्ध सं. 2029 से तादात में ख.नं. 127 के निम्न भाग में हो रहा है. तथा आ.ख.नं. साबिक 81मि./0-15 करतारसिंह पुत्र इन्दरसिंह सिकलीगर साकिन अलमदीका से दिनांक 14-7-71को मृतक रामसिंह पिता वादीगण ने खरीद किया था जिसका हाल ख.नं. 127 है । करतारसिंह पुत्र इन्दरसिंह को सनद नं. 191 दिनांक 3-6-65 को जारी हुई है तथा तुर्वीबाई उर्फ जतनकोर बेवा बलवन्तसिंह को सनद नं. 1639 दिनांक 24-8-73को जारी हुई है। दोनों टुकड़ो को मिलाकर मौके पर एक किया हुआ है और वक्त खरीद से आज तक आराजी मुतनाजा पर वादीगण काश्त कर रहे हैं।

आ.ख.नं. 81मि./0-15. व 81मि./0-15 साबिक नम्बरान के बयनामें दौराने बन्दोबस्त हुआ है। हर दो बयनामों में से जतनकोर से खरीदा गया ख.नं. 81मि./0-15 का इन्तकाल बहक मृतक रामसिंह दर्ज व मंजूर हो गया। और 81मि./0-15 जो करतारसिंह से खरीदा गया रकबा था.उसका इन्तकाल भी दर्ज कराने को बयनामा राज्य कर्मचारियान को दिया था उन्होने इन्तकाल दर्ज होना बताकर रामसिंह खरीददार को करतारसिंह वाला बयनामा वापिस लौटा दिया कि तुम्हारा इन्तकाल दर्ज हो गया है. रामसिंह खरीददार अनपढ़ आदमी था उसने बयनामों को अपने घर रख लिया और आ.ख.नं. हाल 127/1-06 के निम्न भाग पर सन्तासिंह, जगमसिंह, नियामत बाई, गिन्दोबाई वारिसान सुहारासिंह का राजस्व रिकार्ड मिसल हकीयत सं. 2029 में होने से तथा बक्त तादात जमाबन्दीयात में होने से सन्तासिंह ने बिला मालिकाना हकूक ख.नं. 127 के निम्न भाग का कोई इकरारनामा प्रतिवादी नं. 5, 6 के हक में करा दिया बताते हैं। इसी आधार पर दिनांक 20-9-06 को प्रतिवादीगण 1लगा.6 काश्त आराजी वादीगण में बेजा मदाखलत पैदा की तथा धमकी दी है।

—3—

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

कि वादीगण को आराजी मुतनाजा काश्त नहीं करने देवें और आराजी को मुन्तकिल करेंगे। सन्तासिंह, चमनसिंह वगैरा का हाल ख. नं. 127/1-06 के निस्फ भाग पर आया गैरखातेदारी का इन्द्राज हकूक वादीगण के खिलाफ वाजिल वो बेअसर है हजफ किये जाने योग्य है और दुरूस्त किये जाने योग्य है।

सुहारासिंह को उसकी अलोट शुदा आराजी की सनद नं. 1253 दिनांक 12-8-71को जारी हुई है। सुहारासिंह की सनद में 81मिन/2-00 बीघा अंकित है, तथा जमाबन्दी सं. 2010से 2018 तक भी सुहारासिंह के नाम 81 मिन रकबा 2बीघा दर्ज है। तथा मिसल हकीयत 2029 में 81मिन साबिक हाल ख. नं. 131/1-16 मौजा अलमदीका अंकित है रामसिंह मुतक का साबिक ख. नं. 81मि./0-15 व 81मि./0-15 कुल 1-10 को घटाकर हाल ख. नं. 126/1-06 कर दिया इसी प्रकार सुहारासिंह पुत्र गंगासिंह का साबिक ख. नं81मि./2-00 को हाल ख. नं. 131/1-16 करदिया ऐसी सूरत में सुहारासिंह के वारिसान सिर्फ 2बीघा रकबा लेने के हकदार है। बाकि रकबे पर उनकी दावेदारी व गलत है अंकन गलत हुआ है। सम्वत् 2029 में करतारसिंह पुत्र इन्दरसिंह का नाम ख. नं. 127/1-06 के निस्फ भाग पर नहीं करके सन्तसिंह, चमनसिंह वगैरा के नाम का गलत अंकन कर दिया। जो अमल तादाल रिकार्ड में होता चला आ रहा है। उनके नाम का गैरखातेदारी का अमल इसलिए भी गलत है कि जब सुहारासिंह को उसकी अलोट शुदा आराजी का सरकारीमतालबा भर कर सनद प्राप्त हो चुकी तो सुहारासिंह व उसके वारिसान का कोई रकबा गैरखातेदारी में रहजाना काबिले विश्वास नहीं है। इस प्रकार वादीगण इस गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराकर अपने आपको खरीददार काबिज खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है।

अत: दावा वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे :-

[अ] डिक्री इस्तकरारहक बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जावे कि वादीगण आ. ख. नं. साबिक 81मि./0-15, 81मि./0-15 हाल ख. नं. 127/1-06 वाके अलमदीका तहसील किशनगढ़-बास के खातेदार काबिज काश्तकारान हैं।

[ब] आ. ख. नं. हाल 127/1-06 वाके अलमदीका के निस्फ भाग में आया अंकन बहक सन्तासिंह, चमनसिंह, नियामतबाई, बिन्दोबाई वारिसान सुहारासिंह गैर खातेदारान खारिज किया जावे व उनके स्थान पर वादीगण वारिसान मुतक रामसिंह खरीददार का नाम जमाबन्दी सं. 2029 से तादाल में अंकन किया जावे।

[स] आ. ख. नं. 81मि./0-15 मौजा अलमदीका जो रकबा करतारसिंह से मुतक रामसिंह ने खरीदा है, इसका हाल ख. नं. 127/1-06 का निस्फ भाग बना है, उसका इन्तकाल बजरिये बयनामा दिनांक 14-7-71बहक वादीगण दर्ज किया जावे।

—4—

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

|द| डिग्री बज़ाय हु.ब.दवामी बहक वादीगणं विरूद्ध प्रतिवादीगणं इस प्रकार जारी की जावे कि आ.ख्.नं.हाल 127/1-06 वाके अलमदीका के कब्जा काश्त वादीगण में मजाहमत पैदा ना करें, ना आराजी को खुर्द बुर्द व मुन्तकिल करें।

|य| आ.ख.नं.साबिक 81मि./0-15 व 81मि./0-15 रकबा 1-10 जिसका हाल ख.नं. 127/1-06 बना है जिसमें बन्दोबस्त विभाग द्वारा रकबा 1-10 के बजाय रकबा 04बिस्वा धटा कर रकबा 1-06करदया जबकि मौके पर आज भी रकबा 1-10 ही है। ऐसी सूरत में आ.ख्.नं. 127 हाल वाके अलमदीका का रकबा 1-06 के बजाय 1-10 किया जावे।

|र| दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाई जावे।

|ल| खर्चा मुकदमा वादीगणं को प्रतिवादीगणं से दिलाया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति.नं. 1लगा.4 ने कोई जवाब पेश नहीं किया प्रति.नं. 8 पैरोकार सरकार का जवाब पेश किया जिन्होने वादीगण के वाद को अस्वीकार किया। प्रति.नं. 5, 6 ने जबाबदावा पेश कर वादीगण के वाद को अस्वीकार किया। जबाबदावा पेश करने के पश्चात् प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुये उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर तनकीयात कायम की जाकर वादीगणं की साक्ष्य ली गई।

वादीगणं की ओर से गवाह महेन्द्र कुमार पी.डब्लु 1, नन्दराम पुत्र बख्तावर गूजर पी.डब्लु 2 व देशराज पुत्र गुरदयाल अहीर पी.डब्लु 3 के शपथ पेश किये गये। तथा दस्तावेजी साक्ष्य में रसीद उप पंजियक कार्यालय प्रदर्श 1 असल बयनामा प्रदर्श 2 व4 नकल तनक़ प्रदर्श 3 5 नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 6 नकल जमाबन्दी सं. 2029 प्रदर्श 7, 8 नकल जमाबन्दी सं. 2010-18 प्रदर्श 9 नकल तनक़ प्रदर्श 10 नकल जमाबन्दी सं. 2010-18 प्रदर्श 11, नकल ख.गि.सं. 2060-63 प्रदर्श 12 पेश किये हैं।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विवादित आराजी हमारी जरिये रजि.बयनामा खरीद शुदा है साबिक ख.नं. 81मि. रकबा 15 बिस्वा जतनकौर बकधा बलवन्त सिकलीगर से खरीदी तथा साबिक ख.नं. 81मि. रकबा 15 बिस्वा करतार/इन्दरसिंह से खरीद की थी दोनों साबिक नम्बरान को मिलाकर एक खेत बनाया हुआ था जिसका हाल ख.नं. 127/1-06 बनाया है। बयनामें भू-प्रबन्ध के दौरान कराये थे जतनकौर के बयनामा का इन्तकाल दर्ज हो गया परन्तु करतारसिंह वाले बयनामा का इन्त0 दर्ज नहीं हुआ। परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग ने साबिक इन्द्राज को बदलकर

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़ बास (अलवर)

प्रतिवादीगण मुख्तारसिंह के नाम गैरखातेदारी का इन्द्राज कर दिया। मुख्तारसिंह के वारिसान ने सन् 2006 में गैरखातेदारी के गलत अमल होने पर आराजी को जरिये इकरारनामा प्रति.नं. 5, 6 को विक्रय किया जब हमें जानकारी हुई तब उन्होंने हमें जबरन बेदखल करने की धमकी दी। जिनके पक्ष में इकरारनामा किया उन्हें वाद में पक्षकार बनाया है। रामसिंह 2005 में फौत हो गया इसलिए दावा हम वारिसान ने दायर किया है। मुख्तारसिंह उसे आवंटित भूमि की सन्द खातेदारी प्राप्त कर चुका था। उसके नाम कोई गैरखातेदारी का रकबा शेष नहीं था। मुख्तारसिंह का हाल ख.नं. 131 है जिसमें वह खातेदार दर्ज है। ख.नं.हाल 127 से उसका कोई लेना देना नहीं है। हमने समस्त रिकार्ड पेश किया है। वाद वादीगण साबित है वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है:-

<u>तनकी नं. 1:-</u> आया साबिक ख.नं. 81मि./0-15 पिता वादीगण ने जतनकोर उर्फ सुखीबाई से दिनांक 12-9-73को जरिये रजि.बयनामा खरीद की थी व साबिक ख.नं. 81मि./0-15 करतारसिंह पुत्र इन्दरसिंह से दिनांक 14-7-71 को खरीद की थी जिसका हाल ख.नं. 127 है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है? इस तनकी का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल मिलानक्षेत्रफल प्रदर्श 6 के अवलोकन से साबित है कि हाल ख.नं. 127/1-06 साबिक ख.नं. 81मि./1-06 से पैमूद हुआ है। तथा नकल बयनामा प्रदर्श 2 के अनुसार पिता प्रतिवादीगण ने साबिक ख.नं. 81मि./0-15 जतनकोर बेवा बलवानसिंह से व बयनामा प्रदर्श 4 से साबिक ख.नं. 81मि./0-15 करतारसिंह पुत्र इन्दरसिंह से खरीद किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत गवहान से हाल ख.नं. 127 पर वादीगण का कब्जा होना साबित है। कब्जे के बाबत प्रतिवादीगण द्वारा कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जाती है।

<u>तनकी नं. 2:-</u> आया करतारसिंह से खरीद किये गये रकबे का इन्तकाल बयनामा के आधार पर दर्ज नहीं किया भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल ख.नं. 127 के निश्च भाग पर सन्तासिंह वगैरा को गलतरूप से गैरखातेदार दर्ज कर दिया जिसे वादीगण हवर्ष करार खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है? इस तनकी का भार भी वादीगण पर था।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

वादी द्वारा प्रस्तुत नकल सनद प्रदर्श 3 के अवलोकन से साबित है कि करतार सिंह पुत्र इन्दरसिंह को साबिक ख. नं. 81मि. /0-15 उसे आवंटित हुई थी जिसकी कीमत क्यों जमाकाश कराकर सनद खातेदारी सं. 191|65| दिनांक 6-7-65 को प्राप्त करली थी उसके पश्चात् यह आराजी दिनांक 14-7-71 को करतार सिंह ने जरिये रजि. बयनामा पिता वादीगण रामसिंह को विक्रय करदी । नकल जमाबन्दी सं. 2010-18 प्रदर्श 11 के अवलोकन से साबित है कि सुहारासिंह पुत्र गंगासिंह को साबिक ख. नं. 81मि. /2-00बीघा आवंटित हुआ था और सुहारासिंह ने सनद .खातेदारी सं. 1253|71| दिनांक 12-8-71 को प्राप्त करली सनद प्रदर्श 10 है जिससे साबित है कि वह साबिक ख. नं. 81मि. के रकबा 2बीघा का खातेदार था। मगर भू-प्रबन्ध विभाग नये नम्बरान कायम किये तो हाल ख. नं. 131 रकबा 1बीघा 16 बिस्वा सुहारासिंह के वारिसान के नाम 4 बिस्वा कम करते हुये अमल करदिया। जो नकल जमाबन्दी सं. 2029 प्रदर्श 8 है। नकल जमाबन्दी सं. 2029 प्रदर्श 7 के अनुसार भू-प्रबन्ध विभाग ने साबिक ख. नं. 81मिन/1-06 से. हाल ख. नं. 127/1-06 कायम किया उसके 1/2 भाग पर भी सुहारासिंह के वारिसान के नाम का ही अंकन कर दिया जबकि सुहारासिंह को साबिक ख. नं. 81मि. का 2बीघा ही रकबा आवंटित हुआ था जिसकी सनद खातेदारी ले चुका था उसका कोई गैरखातेदारी का रकबा भी नहीं था और 2बीघा से अधिक रकबा ले भी नहीं सकता था भू-प्रबन्ध विभाग ने जो रकबा करतासिंह पुत्र इन्दरसिंह को अलोट था पर गलतरूप से सुहारा सिंह के वारिसान के नाम का अंकन करदिया जो पिता वादीगण की खरीद शुदा आराजी थी इसलिए वादीगण उक्त इन्द्राज को हजफ कराकर अपने नाम खातेदारी का अंकन कराने के अधिकारी है। यह तनकी बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी तय की जाती है।

<u>तनकी नं. 3:-</u> आया भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा पिता वादीगण के साबिक ख. नं. 81मि. /0-15 व 81मि. /0-15 का कुल 1-10 बिस्वा घटाकर हाल ख. नं. 127/1-06 कर दिया तथा सुहारासिंह पुत्र गंगासिंह के साबिक ख. नं. 81मि. 2बीघा का हाल ख. नं. 131/1-16 करदिया जबकि सुहारासिंह के वारिसान क कुल 2बीघा के ही हकदार थे जिसे वादीगण दुरूस्त कराने के अधिकारी है? इस तनकी का भार भी वादीगण पर था। तनकी नं. 1, 2 में किये गये विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि साबिक ख. नं. 81मि. का जो रकबा 1-10 था वह जानकोर बेवा बलन्तसिंह व करतारसिंह पुत्र इन्दरसिंह का था जिसे पिता वादीगण ने खरीद किया उसका 4बिस्वा रकबा कम करते हुये हाल ख. नं. 127/1-06 कायम किया जिसमें 1/2 भाग पर सुहारासिंह के नाम का अंकन गैरखातेदार गलतरूप से किया गया। क्योंकि उसे 2बीघा अलोट हुआ था

[signature] कलेक्टर
नगढ-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

और 2बीघा की खातेदारी भी प्राप्त करती थी मगर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा हाल ख.नं. 131 में रकबा 1बीघा 16 बिस्वा उसके नाम आ गया केवल 4 बिस्वा कम रहा परन्तु हाल ख.नं. 127 में भी 13बिस्वा पर सुहारासिंह के वारिसान के नाम गलत अंकन बतौर गैरखातेदार करदिया जो कराई गलत अंकन है। भू-प्रबन्ध विभाग को साबिक इन्द्राज के अनुसार ही अंकन किये जाने के अधिकार हैं। इस प्रकार यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रति० तय की जाती है।

तनकी नं. 4:- आया वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के अधिकारी हैं? इस तनकी का भार भी वादीगणं पर था। जब तनकी नं. 1, 2, 3 वादीगण के पक्ष में तय हो चुकी है तो यह तनकी स्वतः ही वादी गण के पक्ष में जाती है जिस पर और विवेचन किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं रही है। यह तनकी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण तय की जातीहै

तनकी नं. 5:- आया आराजी साबिक ख.नं. 81/1-2 रकबा 2बीघा सुहारासिंह पुत्र गंगासिंह की बलोट शुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिस आराजी को मिन प्रति. ~~विक्रम~~ ईश्वर को जरिये इकरारनामा बेयान की हुई है। जिस पर प्रति. काबिज काश्त है। वादीगण का कोई संबंध वो सरोकार नहीं है? इस तनकी का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिये कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं की। सुहारासिंह साबिक ख.नं. 81 मिन के रकबा 2बीघा का खातेदार था उसे 2बीघा से अधिक रकबा लेने का कोई अधिकार नहीं है वह गैरखातेदार भी नहीं था उसके वारिसान के नाम गलतरूप से गैरखातेदारी का अंकन हाल ख. नं. 127 में 13 बिस्वा पर गलतरूप से किया गया है जबकि 1-16बिस्वा हाल ख.नं. 131 में उसके नाम है। इस प्रकार यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादीगण बहक वादीगण तय की जाती है।

[6]आया विवादित आराजी ख.नं. 81मिन 1, 2 का जुज है जो प्रति. नं. 1 की है जिस पर प्रति काबिज काश्त है वादी का कोई संबंध वो सरोकार नहीं है? इस तनकी का भार प्रतिवादीगणं पर प्रतिवादीगणं द्वारा इसे सिद्ध कराने के लिये कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। यह तनकी विरूद्ध प्रति. बहक वादी तय की जाती है।

तनकी नं. 7:- हाल ख.नं. 127/1-06 का 1/2 भाग प्रति. की कब्जे काश्त खातेदारी का जिससे वादीगण का कोई संबंध नहीं है वादीगणं किसी भी प्रकार की दुरूस्ती कराने के अधिकारी नहीं है? इस तनकी का भार

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़ बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण द्वारा इस तकमी को भी सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया। प्रतिवादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। यह तनकी विरुद्ध प्रति. बहक वादी तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण भली भाँति साबित होता है। वाद डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादीगण बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिक्री किया जाकर वादीगण को साबिक ख. नं. 81मि./0-15 व 81मि./0-15 हाल ख. नं. 127/1-06 वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढ़-बास का खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा निस्फ भाग पर जो अमल प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदारी का हो रहा है उसे हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदानुसार ही अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में घोषित किया गया

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस. किशनगढबास

मुकदमा नं.	प्रवेश तिथि	निर्णय
213/145	11.10.2006 15.3.13	7.10.19

उनवान

1. मूलचन्द पुत्र रामसिंह कोम अहीर.....................मृतक
1/1–सूरजी पत्नि मूलचन्द
1/2–महेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द
1/3–विजयसिंह पुत्र मूलचन्द
1/4–मीना पुत्र मूलचन्द
2. श्रीराम पुत्र रामसिंह
3. जगमाल पुत्र रामसिंह
4. रतनलाल पुत्र रामसिंह
5. करेम पुत्र रामसिंह
6. अतरसिंह पुत्र रामसिंह जाति अहीरान निवासी कौशलपुर तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:– वादीगण :–

बनाम

1. संतसिंह पुत्र सुहारासिंह
1/1–शीलावन्ती पत्नि संतसिंह
1/2–विजेन्द्र पुत्र संतसिंह
1/3–राहुल पुत्र संतसिंह
1/4–मैना पुत्री संतसिंह कोम सिकलीगर सिख सा0 अलमदीका
2. जन्मसिंह पुत्र सुहारासिंह
3. गिन्दोबाई पुत्री सुहारासिंह
4. नियामतबाई पुत्री सुहारासिंह जाति सिंकलीगर सिख निवासी अलमदीका
5. ईश्वर पुत्र प्रेमराज जाति अहीर सा0 अलमदीका।
6. विक्रम पुत्र नामालुम अहीर सा0 अलमदीका.....................................मृतक
6/1.–सविता पत्नि विक्रम
6/2–महेश पुत्र विक्रम
6/3–महेन्द्र पुत्र विक्रम
6/4–मनोज पुत्र विक्रम कोम अहीर साकिन अलमदीका
7. राज सरकार जर्ये जिलाधीश महोदय अलवर।
8. तहसीलदार किशनगढबास (भूमिधारी)

:– प्रतिवादीगण:–

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट)
उपस्थितिः– 1. श्री अजयकृष्ण व्यास वकील वादीगण की ओर से।
2.प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही ।

पर्चा डिकी

वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण एकपक्षीय डिकी किया जाकर वादीगण को साबिक ख0न0 81 मि./0–15 व 81 मि0/0–15 हाल ख0न0 127/1–06 वाके ग्राम अलमदीका तहसील किशनगढबास का खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा निरफ भाग पर जो अमल प्रतिवादीगण के नाम गैरखातेदारी का हो रहा है उसे हजफ किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

(सुरेन्द्र प्रसाद)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner